(158)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1848/पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–3–2013 एवं 9–4–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, घट्टिया जिला उज्जैन प्रकरण कमांक 1/अ–6–अ/12–13.

बाबूसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत
निवासी ग्राम नईखेडी
तहसील घट्टिया जिला उज्जैन. .....आवेदक

विरूद्ध

आनंद सिंह पिता अर्जुनसिंह
निवासी 15 कलालसेरी, उज्जैन .....अनावेदक

श्री अनिल परमार अभिभाषक, आवेदक
श्री एम.एल. जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/7/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, घट्टिया जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–2013 एवं 9–4–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, घट्टिया जिला उज्जैन के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नईखेडी तहसील घट्टिया स्थित कृषि भूमि पुराना सर्वे कमांक 145/2 रकबा 1.463 हेक्टेयर उसके नाना गोपाल सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है । बन्दोबस्त के दौरान उक्त सर्वे नम्बर 97 रकबा 0.44 एवं सर्वे कमांक 98 रकबा 0.89 निर्मित हुए हैं, परन्तु त्रुटिवश सर्वे कमांक 97 रकबा 0.44 हेक्टेयर पर उसके नाना के स्थान पर आवेदक का नाम अंकित हो गया है । चूंकि उसके नाना द्वारा अनावेदक के पक्ष में दिनांक 11–3–2002 को प्रश्नाधीन भूमि का पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अतः त्रुटि सुधार कर आवेदक का नाम निरस्त कर अनावेदक का नाम दर्ज किया जाये ।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–6–अ/12–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति की गई, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23–3–2013 को आदेश पारित कर प्रकरण प्रचलन योग्य होना मानते हुए साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तदोपरान्त आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–4–2013 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि संहिता की धारा 115, 116 के अधीन उन आदेशों को दुरूस्त किया जा सकता है, जो अभिलेख संहिता की धारा 114 के तहत तैयार किये गये हों ।

(2) आवेदक का नाम त्रुटिवश दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि उसका नाम प्रवर्तन सूची कमांक 1 सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 16–2–1986 के अनुसार दर्ज किया गया है, जिसे संहिता की धारा 114 की त्रुटि नहीं बताई जा सकती है और न ही संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत चुनौती दी जा सकती है । इस सम्बन्ध में संहिता की धारा 110 नामान्तरण एवं अन्य भू–अभिलेख को तैयार करने से सम्बन्धित नियम कमांक 2 तथा नियम 12 व 13 के अनुसार सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश, जिसके आधार पर आवेदक का नाम दर्ज हुआ है । उक्त आदेश को चुनौती दिये जाने का अधिकार अनावेदक को नहीं है, बल्कि 1 वर्ष की समयावधि में जिलाधीश को पुनरावेदन किये जाने का नियम है ।

(3) अनावेदक द्वारा दुर्भावनावश चतुराईपूर्वक अभिवचन करते हुए सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश को संहिता की धारा 115, 116, के अन्तर्गत चुनौती दी जा रही है, जो विधि अनुसार प्रचलन योग्य नहीं है, जिसमें सम्बन्ध में आवेदक द्वारा व्यवहार

प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लिखित आपत्ति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं कर मात्र प्रकरण चल सकता है, उल्लिखित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है ।

(4) न्याय दृष्टान्त 1985 आर.एन. 9 में यह निर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 115, 116 में नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती तथा संहिता की धारा 114 के अधीन तैयार किये गये अभिलेख में कोई गलत प्रविष्टि मात्र मात्र शुद्ध की जा सकती है । इसी प्रकार 1981 आर.एन. 275 में भी यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भूमिस्वामी अधिकार अभिलेख में जो इन्द्राज है, वह संहिता की धारा 114 के अधीन तैयार अभिलेख में नहीं माना जा सकता । इंस प्रकार सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी का आदेश संहिता की धारा 114 के तहत नहीं होता है ।

(5) जब विधि अनुसार प्रकरण ही प्रचलन योग्य नहीं हो तो ऐसे प्रकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व में भी प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–3–2013 को निरस्त किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा पुनः इसी आशय की आपत्ति करते हुए व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 9–4–2013 को आदेश पारित कर निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि प्रकरण की प्रचलनशीलता के बिन्दु का निराकरण तहसीलदार द्वारा पूर्व में किया जा चुका है । इस आधार पर कहा गया कि जिस वाद बिन्दु का निराकरण पूर्व में हो चुका है, उसी वाद बिन्दु को पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार आवेदक को नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रकरण लम्बित रखने के उद्देश्य से तहसील न्यायालय में उपरोक्त कार्यवाही कर रहा है और इसी उद्देश्य से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा पूर्व में भी प्रकरण की प्रचलनशीलता के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई थी, जिसका निराकरण तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 23–3–2013 से किया जा चुका है, जिसे चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अन्तिम हो गया है । आवेदक द्वारा पुनः दिनांक 9–4–2013 को व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के प्रचलशीलता के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–4–2013 को आदेश पारित कर निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं कीं गई है । चूंकि तहसीलदार द्वारा जिस बिन्दु का एक बार निराकरण किया जा चुका है, उसी बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदक द्वारा प्रकरण लम्बित रखने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की जा रही है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, घट्टिया जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–2013 एवं 9–4–2013 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर